

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सभी से जिनका इससे संबंध हो, अनुरोध एवं अपेक्षा की जाती है कि वे धारक को बिना किसी रोक-टोक के स्वतंत्र रूप से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से

भारत का राजदूतावास
Embassy of India
मस्कत / Muscat

IND
K 0736903

INDIAN M 05/10/1969

05/10/1969 M

VAGURAMPATTI TAMILNADU

24/12/2011 23/12/2021

24/12/2011

23/12/2021

[illegible]

سلطنة عمان
تأشيرة دخول

01

إقامة مقعده	زيارة الرحلة واحدة	صاحبة العمل	رقم العمل
MULTIPLE	SINGLE	EMPLOYMENT	854

رقم التأشيرة: 79133686
الإصدار: 28-9-2020
الانتباه: 2-2-22
الموافقون: 2020
صاحب العمل: شركة

1- يجب تسجيل البصمة واستخراج بطاقة قيد خلال (٣٠) يوما من تاريخ الحصول
٢- تعتبر تأشيرة إقامة العمل لائحة إذا تجاوز حادها البقاء خارج السلطنة
سنة أشهر.

1) Resident must fingerprint & apply for resident card with in
30 days from the entry date.

2) The residence employment visa is considered cancelled if
holder exceeds six months, from signature date.

Passports & Residence Officer.....

فاطمة الجوازات والإقامة

الرقم العددي: 61409065

3

वीज़ा / VISA



संयोजन

निदेशों में बताने वाले भारतीय नागरिकों को बताने की जाती है कि वे निम्नलिखित भारतीय नियम/कानून में अंतर ध्यानपूर्वक जानें।

नियम

यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ट को को भी किसी पासपोर्ट अधिकारी के कब्जे आकर को बर्तन करने से बचना पड़ेगी है। किसी भी पासपोर्ट को लाने की चीज भी शामिल है तो इसका उचित अनुपालन किया जाए।

यह पासपोर्ट इसका स्वामी किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट आकर या कब्जे हुए अधिकारी व्यक्ति के कब्जे में ही रहना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या किसी भी चीज को शामिल नहीं किया जाएगा।

पासपोर्ट पुनः हो जाने, लाने की जाने अथवा गलत हो जाने पर कब्जे हुए या भारत में रहने वाले निम्नलिखित अधिकारी को अथवा यदि पासपोर्ट आकर निदेश में है तो निम्नलिखित भारतीय नियम/कानून और स्थानीय पुलिस को सतर्क हो जाना चाहिए। निम्नलिखित के बाद ही पुनः पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORIZED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.

38

पिता / मातुली अधिकारी का नाम / Name of Father / Legal Guardian

RAMASAMY

माता का नाम / Name of Mother

TULASI AMMAL

पति या पत्नी का नाम / Name of Spouse

S. PREMALATHA

पता / Address

52A KAYATHRI NAGAR 3 CROSS

CHINNAKULATHUPALAYAM

KARUR 639006

पुराने पासपोर्ट का नं. और इसके जारी होने की तिथि एवं स्थान / Old Passport No. with Date and Place of Issue

B3425245

31/12/2001

MUSCAT

फाइल नं. / File No.

OMNMP3285011